<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>24.08.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आँचलिक कार्यालय ने वर्ष 2013 से 2016 के दौरान असम भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (एबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) द्वारा मेसर्स पूर्बाश्री प्रिंटिंग हाउस [प्रियांशु बोइरागी की स्वामित्व वाली कंपनी] को 118 करोड़ रुपये के ठेके धोखाधड़ी से दिए जाने के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। यह मामला निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए उपकर के रूप में एकत्रित धन के दुरुपयोग से जुड़ा है। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और सामग्री जब्त की गई। इस मामले में, ईडी ने बैंक खातों और सावधि जमा में शेष राशि के रूप में कुल 34.03 करोड़ रुपये की अपराध आय भी जब्त की है।

ईडी ने मुख्यमंत्री के विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ पीएस, असम द्वारा दर्ज एफआईआर और पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत दायर आरोप-पत्रों के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें तत्कालीन श्रम आयुक्त सह एबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के सदस्य सचिव चौहान डोले, आईएएस, मेसर्स पूरबश्री प्रिंटिंग हाउस के प्रोप. प्रियांशु बोइरागी; एबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के तत्कालीन अध्यक्ष गौतम बरुवा, और एबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी नागेंद्र नाथ चौधरी शामिल हैं, जिन्होंने जाली और धोखाधड़ी वाली निविदा प्रक्रिया की मदद से एबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी से अनुचित रूप से उच्च मूल्य के मुद्रण अनुबंध प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की।

ईडी की जांच से पता चला कि प्रियांशु बोइरागी ने सरकारी निधि से प्राप्त 118 करोड़ रुपये की अपराध की आय (पीओसी) को अपने नाम से एफडीआर में जमा करा लिया और शेष पीओसी को अपने से जुड़े विभिन्न बैंक खातों और विभिन्न फर्जी संस्थाओं में भेज दिया, इस प्रकार पीओसी का पता लगाने से बचने के लिए लेन-देन का जाल बिछा दिया।

आगे की जांच हो रही है।